हैं । तथापि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को 52% होने का अनुमान लगाया है ।

(ख) सरकार ने पिछड़े वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) सरकार ने 8-9-93 से सिविल सेवाओं तथा पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति का कियान्वयन किया है ।

(2) अन्य बातों के साथ-साथ, पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 13 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया है ।

(3) प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतियोगी होने योग्य बनाने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से परीक्षा-पूर्व कोचिंग प्रदान की जाती है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये स्वीकृत धनराशि

3023. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में कल्याण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों के लिए स्वीकृत की गयी थी ; और

(ख) स्वीकृत राशि में से विभागवार स्थापना व्यय का ब्यौरा क्या है तथा उनकी भलाई के लिए कितनी राशि खर्च की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अनुसूचित जाति का कल्याण

क्रम सं०	योजना	1993-94 के दौरान निर्मुक्त राशि
1.	विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता	2803.81
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	57.65
3.	नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (कल्याण निवारण) अधिनियम, 1989	16.75
4.	पुस्तक बैंक	36.90
5.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टल	0.64
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	3.00

1	2	3
7.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास . . .	1226.00
8.	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	474.76
9.	अस्वच्छ पेशों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	168.963
	अनुसूचित जनजाति का कल्याण	
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल . .	27.03
2.	अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल . . .	39.28
3.	मेंअल्पसाक्षरत" पाकेटों अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक परिसर	35.20
4.	अनुच्छेद 275 के अधीन	1051.50
5.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता . .	8117.65
6.	अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता	
	(क) आश्रम स्कूलों, होस्टलों का रखरखाव तथा पम्प की विद्युतीकरण	1000.00
	(ख) टी. डी. सी. सी. को 12400 मी. ट. क्षमता के गोदाम के निर्माण के लिए 1000/-रू. प्रति टन की दर से सहायता अनुदान	60.0
7.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण फैलोशिप	23.35

Functioning of NMFDC

3024. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the National Minorities Finance Development Corporation has started functioning.

(b) if so, the number of beneficiaries; and

(c) what is the operational composition of the Corporation and the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) NMDFC has sanctioned loan for projects in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Punjab costing approx. Rs. 54 crores out of which the NMDFC share is Rs. 33 crores. This would benefit 14580 beneficiaries.